प0 सं0/ 334 /एडी0कमि0 (जी0एस0टी0–अनुभाग)/वाणिज्य कर मुख्यालय।
कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उ0प्र0
(एडी0कमि0–जी0एस0टी0–अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 13 :: जुलाई , 2017

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय– **जी0एस0टी0 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।**

आपको विदित है कि समस्त सरकारी विभागों, सरकारी एजेंसियों एवं स्थानीय निकायों द्वारा रूपये–2.50 लाख से अधिक के क्रय आदेश के विरूद्ध किये गये भुगतान पर एक प्रतिशत की दर से SGST एवं एक प्रतिशत की दर से CGST की कटौती किया जाना अपेक्षित है तथा सप्लायर के प्रान्त बाहर का होने की स्थिति में दो प्रतिशत की दर से IGST की कटौती किया जाना अपेक्षित है। जी0एस0टी0 में स्रोत पर कटौती की व्यवस्था धारा 51 के अन्तर्गत की गयी है किन्तु धारा 51 को अभी लागू नहीं किया गया है।

स्रोत पर कटौती करने वाले विभागों, एजेंसियों एवं स्थानीय निकायों हेतु जी0एस0टी0 में TAN आधारित UID लेना अनिवार्य है तथा UID हेतु आवेदन जी0एस0टी0 के पोर्टल www.gst.gov.in पर किया जायेगा तथा यह आवेदन पत्र उक्त पोर्टल पर दिनांक 20 जुलाई, 2017 से उपलब्ध हो जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 20 जुलाई, 2017 से पूर्व सभी सरकारी विभागों के आहरण वितरण अधिकरियों एवं लेखाकारों तथा सरकारी एजेंसियों व स्थानीय निकायों के भुगतानकर्ता प्राधिकारियों व लेखाकारों को TDS सम्बन्धी प्राविधानों से अवगत कराने तथा UID हेतु आवेदन की अनिवार्यता से अवगत कराने हेतु उनका एक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया जाये। यह प्रशिक्षण सत्र जनपद हेतु नामित नोडल अधिकारी एवं मास्टर ट्रेनर द्वारा आयोजित किया जायेगा तथा इसकी तिथि का निर्धारण जिलाधिकारी के माध्यम से करते हुए जिलाधिकारी की ओर से प्रशिक्षण में उपस्थित होने के निर्देश जारी कराये जायेंगे। इस प्रशिक्षण सत्र के आयोजन की सूचना मुख्यालय पर जी0एस0टी0 अनुभाग को प्रतिभागी आहरण वितरण अधिकारियों, लेखाकारों आदि की संख्या सहित प्रशिक्षण सत्र के आगामी कार्यदिवस में उपलब्ध करायी जायेगी।

उपरोक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

13/07/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।